कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता–भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिरत्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/ नियुक्ति–हिन्दी/पीएससी–15/2017 दिनांक–16.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिरत्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक–16.06.2017 के पश्चात् जारी जारी किये गये। जिसके क्रम में अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक–24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक–16.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशो से सबंधित अभ्यर्थियों (बबीता राज मीणा, संदीप ढाका, कमलेश कुमारी मीणा) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे याचिका सं–10203/2022 चैना राम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता मे स्वंय से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिको के समान वरिष्ठता वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या–10203/2022 चैनाराम व अन्य बनाम राजस्थान राज व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–21.07.2022 में याचिका को एस बी सी याचिका संख्या–7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक–16.07.2014 व एस बी सी याचिका संख्या–19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है।

एस.बी.सी याचिका सं–7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक–16.07.2014 में आदेशित किया है " of the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only of notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी (बबीता राज मीणा, संदीप ढाका, कमलेश कुमारी मीणा) प्राध्यापक हिन्दी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए जिनमे मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक–16.06.2017 के अनुसार स्वंय से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.स.	नाम	जन्म दिनांक	मेरिट नं.	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1.	बबीता राजमीणा	15.04.1988	3160	24.08.2018	27.08.2018 मध्यान्ह पश्चात्
2.	संदीप ढाका	23.12.1985	479	20.06.2017	30.06.2017 मध्यान्ह पश्चात्
3.	कमलेश कुमारी मीणा	05.03.1988	3135	19.07.2017	21.07.2017 मध्यान्ह पूर्व

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक हिन्दी विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक–16.06.2017 में कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक सुनीता मीणा मेरिट क्रमांक 3163 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी सुनीता मीणा द्वारा दिनांक–19.06.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका सं–10203/2022 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक–21.07.2022 का नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदरस्थान राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लेखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी सुनीता मीणा (मेरिट क्रमांक 3163) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित आदेश दिनांक–16.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुनीता मीणा द्वारा दिनांक–19.06.2017 को कार्यग्रहण

किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

सुनीता मीणा द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त दिनांक–19.06.2019 से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थी के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक सुनीता मीणा द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें, परन्तु वे सभी नोशनल परिलाभ के ही हकदार होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/नोशनल/चैनाराम व अन्य/या.स.–10203/2022

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित– दिनांक– 24.04.2023

1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3.निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4.संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ....।
5.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ....।
6.जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
7.विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9.संबंधित प्राधानार्चा/संबंधित कार्मिक।
10.निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते